(५५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5243/2018/अशोकनगर/भूरा के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27.08.2010 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 523/निगरानी/2009—10.

.....

1—वीरेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह रघुवंशी
2—धर्मेन्द्र ससिंह पुत्र रतन सिंह रघुवंशी
3—सीताराम पुत्र रतन सिंह रघुवंशी
4—मुकेश सिंह पुत्र अलोल सिंह रघुवंशी
निवासीगण ग्राम मलावनी तहसील पिपरई
जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—म0 प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर
जिला अशोकनगर म0 प्र0

———अनावेदक

श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदकगण
शासन की ओर से पैनल अभिभाषक अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 15-10-18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.8.10 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2—प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मलावनी तहसील पिपरई स्थित भूमि सर्वे कमांक 240/1/2/ग एवं 240/1/2/घ रकबा कमशः 0.500 है0 स्व0 श्री रतन सिंह

एवं रकबा 0.500 है0 स्व0 श्री अनन्तसिंह का उक्त भूमियों पर करीब 40 वर्षो से कब्जा होने के कारण राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंण्डिका 4 (3) के प्रावधानों के मुताबिक तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 160/अ–19/1989–90 आदेश दिनांक 8.10.90 से उक्त भूमि का व्यवस्थापन किया। अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा उक्त व्यवस्थापन आदेश को स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 523/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 29.6.99 द्वारा आवेदकगण का व्यवस्थापन निरस्त किया गया। उससे दुखित होकर आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 523/निगरानी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 27.8.10 द्वारा कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की गई। इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा इस प्रकरण में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि पर पूर्वजों के समय से निस्तार कब्जा कास्त करते चले आ रहे हैं। तहसीलदार द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार जांच करने के उपरांत किसी की कोई आपत्ति न आने पर व्यवस्थापन किया गया है जो व्यवस्थापन वर्ष 1990 में किया गया है। अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा काफी लंबे समय वाद बगैर आवेदक को सुने व सुनवई का मौका दिये व्यवस्थापन को लगभग 9 वर्ष स्वमेव निगरानी में लेते हुये व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया है जो आलोच्य आदेश कतई उचित एवं न्याय संगत नहीं है। माननीय वरिष्ठ उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ने कई न्याय सिद्वांत प्रतिपादित किये है कि स्वमेव निगरानी में प्रकरण को सिर्फ 180 दिवस के भतर लेना चाहिये काफी लंबे समय के बाद प्रकरण को स्व0 निगरानी में नहीं लेना चाहिये । उक्त अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा काफी लंबे समय 9 वर्ष के अंतराल के बाद प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया है जो कतई उचित एवं न्याय संगत न होने से निरस्त योग्य है एवं निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक धारा–5 का संबंध है आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि 8 साल से आवेदक उक्त भूमि पर काबिज है तथा अपर कलेक्टर के आदेश के उपरांत आज तक

उसके विरूद्व कोई बेदखल की कार्यवाही नहीं की गई, वह आज भी वर्तमान में उक्त भूमि पर काबिज है। अतः उक्त आवेदक को अपर आयुक्त के आदेश की उसे कोई सूचना नहीं थी। आवेदक को जब पटवारी द्वारा दिनांक 18.8.18 को ग्राम में सूचना दी गई कि सर्वे क्रमांक 240/1 का जो व्यवस्थापन आवेदकगण को किया गया था वह अपर आयुक्त द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद अधिवक्ता से संपर्क कर आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त कर राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की। इसलिये आवेदकगण का धारा–5 का आवेदन क्षमा योग्य है।

4–अनावेदक शासकीय अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधिनस्थ न्यायालयों के द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं वह विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं। अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदकगण को उक्त भूमि का व्यवस्थापन तहसीलदार मुंगावली द्वारा प्रकरण क्रमांक 160/अ–19/1989–90 आदेश दिनांक 8.10.90 से किया गया है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा काफी लंबे समय के वाद स्वमेव निगरानी में लेते हुये प्रकरण क्रमांक 523/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 29.6.99 द्वारा आवेदकगण के पक्ष में हुये व्यवस्थापन को निरस्त किया गया है, जबकि अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर के द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में काफी समय के अंतराल के वाद लिया है। निश्चित समय के अन्दर में नहीं है, दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसको सूचना पत्र जारी किये बगैर आदेश पारित किया गया है जो उचित नहीं है। आवेदगण द्वरा उक्त पटटे पर प्राप्त भूमि पर काफी धन खर्च कर उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया है उसमें टयूवेल पंप लगाकर कृषि योग्य बनाया है। इसलिये अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेते हुये पटटे निरस्त करने से आवेदकगण को काफी मानसिक व शारीरिक व आर्थिक हानि हुई है इस संबंध में **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2000 आर0**

एन0 161, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2000 आर0 एन0 67, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2010 (4) ए0 पी0 एल0 जे0 178 आर0 एन0 1996, 137, माननीय एस0 सी0 1969 1297, आर0 एन0 1990, 77 आर0 एन0 1992 163, न्याय दृष्टांतों में अभिमत दिया गया है, कि स्वमेव निगरानी में कोंई प्रकरण लेना है तो निश्चित समय सीमा के भीतर लेना चाहिये। काफी अंतराल के वाद नहीं एवं दूसरे पक्ष को सूचना सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं करना चाहिये, कलेक्अर जिला अशोकनगर द्वारा जो प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया गया है व कतई उचित एवं नियमानुकूल नहीं है । इस वैधानिक तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया गया हैं ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर जिला अशोक नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.6.99 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.8.2010 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदकगण को उक्त निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलंब को सदभावना पर मानते हुये न्याय हित में क्षमा किया जाता है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर का प्रकरण कमांक 523/स्वमेव निगरानी/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 29.6.99 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 523/निगरनी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2010 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है। अतः तहसीलदार मुंगावली का प्रकरण कमांक 160/अ–19/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 8.10.90 स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर